संख्या–896/9–9–17– 162ज/11

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 25 सितम्बर, 2017

विषय– स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि की उपयोगिता बढाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–8/751–2110/(139)–02 प्रतिशत/ स्टाम्प शुल्क/2017–18 दिनांक 16 अगस्त, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शासनादेश संख्या–30/2015/633/नौ–9–15–94ज/14 दिनांक 06 मई, 2016 द्वार 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की प्राविधानित धनराशि रू0 501.00 करोड़ की अवमुक्त की गयी, जिसके कम में आपके आदेश संख्या–8/692/(139)–02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2016–17 दिनांक 26 अगस्त, 2017 द्वारा रू0 219.87 करोड़, आदेश संख्या–8/429/(139)–02 प्रतिशत/ स्टाम्प शुल्क/2016–17 दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा रू0 143.46 करोड़, एवं संख्या–8/435/(139)–02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2016–17 दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा रू0 137.67 करोड़, कुल रू0 501.00 नगरीय निकायों को अन्तरित की गयी है। उक्त अन्तरित धनराशि के सापेक्ष कतिपय निकायों द्वारा उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की आवंटित धनराशि की **उपयोगिता अवधि दिनांक–31.03.2018 तक इस शर्तें के साथ अन्तिम रूप से बढ़ायी जाती है** कि नगरीय निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में उक्त अविध से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढायी जायेगी।

4. सम्बन्धित निकायों द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय तथा यथाशीघ्र स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के अन्दर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31.03. 2018 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– महानिरीक्षिक, निबंधन, उ0 प्र0 लखनऊ।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– आयुक्त, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– निदेशक, स्थानीय निकय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
10– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)
12– गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

Go's